कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 7 सितम्बर, 2009

सं. फा. 10 (847)/मु, स. (मुख्या)/स.शु./08/7154.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. एस.ओ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि सर्वश्री गुथी-रेनकर मार्केटिंग प्रा. लि., ई-20, पहली और दूसरी
मंजिल, हौज खास, नई दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाले
रुपए 4,70,50,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक् संख्या
55,91,276 से 1,02,96,275 है, पर लगने वाले मुद्रांक, शुल्क
रुपये 47,050 (रुपए सेंतालीस हजार पचास) केवल के समेकित
मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

ORDER

Delhi, the 7th September, 2009

No. F. 10(847)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7154.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Guthyranker Marketing Private Limited, E-20, 1st and 2nd Floor, Hauz Khaz, New Delhi-110 016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 47,050 (Rs. Forty Seven Thousand Fifty) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,70,50,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 5591276 to 10296275 to be issued by the said company.

दिल्ली, 8 सितम्बर, 2009

सं. फा. 10 (841)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/7202.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मै. वैलमेक इंजीनियरिंग कम्पनी, प्रा. लि., ए-28, मंगोलपुरी इडॉस्ट्रयल एरिया, फेस-2, दिल्ली-110034, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 494380 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 494385 से 543822 है, पर लगने वाले मुद्रांक, शुल्क रुपए 495 (रुपए चार सौ पिचानवें) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 8th September, 2009

No. F. 10 (841)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7202.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Wellmake Engineering Company Private Limited, A-28, Mangolpuri Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110034 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 495 (Rs. Four Hundred Ninety Five) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,94,380 for equity Share certificates with distinctive Nos. 494385 to 543822 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (842)/मु स. (मुख्या)/स.शु./08/7206.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्रधिकारी निर्देश देते हैं कि मै. मून स्टार इन्फ्रास्टक्चर प्रा. लि., 608, पदमा टावर-1, राजेन्द्रा एलेस, नई दिल्ली-110008, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 35,00,000 मूल्य के इिक्वटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 20201 से 90200 है पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 3500 (रुपए तीन हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(842)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7206.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Moon Star Infrastructure Private Limited, 608, Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 shall pay a consolidated

stamp duty of Rs. 3500 (Rs. Three Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 35,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 20,201 to 90,200 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (843)/मु स. (मुख्या)/स.शु./08/7207.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि मै. स्टारलाईट प्रोपर्टीज प्रा. लि., 608, पदमा टावर-1, राजेन्द्रा
प्लेस, नई दिल्ली-110008, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 35,00,000
मूल्य के इिक्वटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 20201 से 90200 है,
पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 3500 (रुपए तीन हजार पांच सौ)
केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10 (843)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7207.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Starlite Properties Private Limited, 608, Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3500 (Rs. Three Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 35,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 20,201 to 90,200 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (824)/मु. स. (मुख्या)/स.शू./08/7209.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कैरीयर लान्चर इन्फ्रास्ट्रकचर प्रा. लि., आर-90, प्रथम मंजिल, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-एक, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 18,66,84,104 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 010001 से 098468 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,86,665 (रुपए एक लाख छ्यासी हजार छ: सौ पैंसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10 (824)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7209.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Career Launcher Infrastructure Private Limited, R-90, 1st Floor, Greater

3304 D9109-2

Kailash, Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,86,665 (Rs. One Lac Eighty Six Thousand Six Hundred Sixty Five) only on the aggregate value of shares of Rs. 18,66,64,104 for equity Share certificates with distinctive Nos. 010001 to 098468 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (823)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/7210.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कैरीयर लान्चर इंडिया लि., आर-90, प्रथम मंजिल, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-एक, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 21,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 08743004 से 08749003 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 2100 (रुपए दो हजार एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10 (823)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7210.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Career Launcher India Limited, R-90, 1st Floor, Greater Kailash, Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2100 (Rs. Two thousand one hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 21,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos.08743004 to 08749003 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (831)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./03/7219.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रण प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एलाइड परफयूमर्स प्रा. लि., ई-3, पहली मंजिल, मंगोलपुरी इडिंस्ट्रियल एरिया, फेस-2, दिल्ली-110034, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 3,22,43,040 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 49,97,701 से 82,22,004 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 32,244 (रुपए बत्तीस हजार दो सौ चवालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10 (831)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7219.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Allied Perfumers Private Limited, E-3, First Floor, Mangolpuri Industrial Area, Phase-II, Delhi-110034 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 32,244 (Rs. Thirty Two Thousand Two Hundred Forty Four) only on the aggregate value of shares of Rs. 3,22,43,040 for equity Share certificates with distinctive Nos. 49,97,701 to 82,22,004 to be issued by the said company.

संशोधन आदेश

सं. फा. 10 (600)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/7223.— दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश संख्या फा. 10(600)/मु. सं.(मुख्या)/स.शु./08/4263 दिनांक 13-4-2009 जिसके तहत सर्वश्री सी एण्ड एस इलेक्ट्रीक लि., 222, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 86,44,90,900 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिसकी पृथक संख्या 34,72,883 से 44,22,278 पर लगने वाले समेकित मुद्रांक शुल्क रुपए 8,64,491 के भुगतान का आदेश दिया गया था, उपरोक्त आदेश में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाता है, शेयरों की पृथक संख्या 34,72,883 से 44,22,872 तक पढ़ी जाए।

CORRIGENDUM

No. F. 10(600)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7223.—In partial modification of Notification Order issued vide F.No. 10(600)/COS(HQ)Cons. duty//08/4263 dated 13th April, 2009 issued by order of Chief Controlling Revenue Authority, Government of NCT of Delhi for the paymenmt of consolidated stamp duty of Rs. 8,64,491 (Rs. Eight lac Sixty Four Thousand Four Hundred Ninety One) on the aggregate value of shares of Rs. 86,44,90,900 by M/s. C. & S. Electric Limited, 222 Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020 for equity shares bearing distinctive No. 34,72,883 to 44,22,278. The distinctive No. of the share certificate to be issued shall read as follows: ditinctive No. 34,72,883 to 44,22,872.

दिल्ली, **9 सितम्बर, 200**9

सं फा. 10 (829)/मु स. (मुख्या)/स.शु,/08/7237.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रण प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री लुफथांसा टैक्निक इंडिया प्रा, लि., 202-206 टाल्सटाय हाउस, 15, टाल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 2,80,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,50,00,001 से 1,78,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 28,000 (रुपए अट्ठाईस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 9th September, 2009

No. F. 10 (829)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7237.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Lufthansa Technik India Private Limited, 202-206, Tolstoy House, 15, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 28,000 (Rs. Twenty Eight Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,80,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1,50,00,001 to 1,78,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (848)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/7242.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रण प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कॉपोरेशन लि. उर्जीनिधि 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 2599,50,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, नन कम्यूलेटिव, टेक्सेबल बोण्डस जो कि डिबेन्चर के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00008685 (सीरीज

57-बी) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 25,00,000 (रुपए पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से.

विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

No. F. 10 (848)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7242.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Flnance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of debentures of Rs. 2599,50,00,000 for issue of Unsecured, redeemable, Non-Convertible, Non-cumulative, taxable bonds in the nature of debentures Series 57-B, bearing distinctive No. 00000001 to 00008665 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority Government of National Capital Territory of Delhi, VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)